न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 51 / 2016

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 फारूक आयु 64 वर्ष पुत्र रजाक जाति व्यापार मुसलमान निवासी वार्ड संख्या 9 कस्बा फतेहपुर तहसील जिला सीकर।

अपीलांट

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

बनाम

1 युनूस आयु 66 वर्ष पुत्र श्री हुसैन ।
2 सलीम आयु 65 वर्ष पुत्र हुसैन।
3 सदीक आयु 55 वर्ष पुत्र हुसैन।
4 उमर आयु 55 वर्ष पुत्र रमजान।
5 इलियास आयु 45 वर्ष पुत्र रमजान।
6 जमीला आयु 50 वर्ष पुत्री रमजान।
7 हाजरा आयु 43 वर्ष पुत्री रमजान।
8 फातमा आयु 37 वर्ष पुत्री रमजान।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं

9 आसमा आयु 32 वर्ष पुत्री रमजान समस्त जाति व्यापारी निवासी मोहल्ला व्यापारियान फतेहपुर जिला सीकर।

10 श्रवण आयु 56 वर्ष पुत्र मगलाराम जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा फतेहपुर जिला सीकर।

11 सीताराम आयु 40 वर्ष पुत्र फुलाराम सैनी जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 6 फतेहपुर जिला सीकर।

12 महेन्द्र सिंह पुत्र ताराचन्द रेवाड़ जाति जाट निवासी मांडासी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

13 मुस्तफा हुसैन खत्री पुत्र मुरतजा हुसैन खत्री जाति व्यापारी निवासी वार्ड नम्बर 7 नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

14 अमीर खान पुत्र सलाउदीन खोखर जाति मुसलमान निवासी ए 340 वैशाली नगर जयपुर।

15 तहसीलदार फतेहपुर पदेन उपपंजीयक फतेहपुर जिला सीकर।

16 अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल फतेहपुर जिला सीकर।

17 जिला कलेक्टर महोदय प्रतिनिधि राजस्थान सरकार जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटी एक्ट विरूद्व
निर्णय व डिक्री मु.नं. 127/2011 दिनांक 20.04.12
बउनवानी युनूस बनाम सलीम आदि द्वारा फतेह मोहम्मद
खान आर.ए.एस.

भू प्रबन्ध अधिकारी एव

उपस्थित

1. श्री महेश जांगिड़ अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रभातीलाल अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–23.10.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा वाद संख्या 127/2011 में पारित निर्णय दिनांक 20.04.2012 के विरूद्व दिनांक 20.04.2016 को धारा 5 व धारा 96 सीपीसी. के साथ प्रस्तुत की गई। दौराने सुनवाई अपील दिनांक 05.07.2018 को अपीलांट फारूक के वारिसान की और से आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि फारूक का देहान्त दिनांक 25.09.2017 को हो गया उनके विधिक वारिसान कुलसुम, अब्दुल मुनाफ, सुमेया, बिल्किस है जिन्हे रिकार्ड पर लिया जावें। साथ में धारा 5 का आवेदन प्रस्तुत किया एंव एक आवेदन बाबत अबेटमेंट सैट असाईट पेश किया विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने आदेश 22 नियम 3 सीपीसी, धारा 5 एवं आवेदन अबेटमेंट सैट असाईट का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्रों के तथ्य असत्य होना कथन कर अपील अबेट करने का निवेदन किया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि 25.09.2017 को अपीलांट फारूक का देहान्त हो गया मुसलिम महिला 4 माह 10 दिन तक ईदत की पालना करती है 4 माह 10 दिन को अपवर्जित करते है तो 90 दिन अन्दर मियाद है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में धारा 42 में अन्तरण वैयक्तिक विधि से निर्धारण होगा पुस्तेनी भूमि थी भाईयों ने डिक्री करवाकर खुर्द बुर्द कर दी पति के आकस्मिक निधन से सदमा लगा मानसिक स्थिति ठीक नही थी जिसकी ईलाज की पर्ची पेश की है। आवेदिका बम्बई रहती है ट्रेन टिकट रिजर्वेशन में भी समय लग गया अपने कथनों के समर्थन मे आर.आर.टी. 2014(2) पेज 885, आर.आर.टी. 2010(1) पेज 167, आर.आर.टी. 2013 (1) पेज 432, आर.आर.टी. 2011(2) पेज 916 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर आवेदन स्वीकार करने एवं अबेटमेंट निरस्त कर वारिसान को रिकार्ड पर लेने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि एक मात्र अपीलांट फारूक होना स्वीकृत तथ्य है इसकी मृत्यु 25.09.2017 को होना विवादित नही है मृतक के चार वारिस है अकेली पत्नी वारिस नही है सारे वारिस ईदत की अवधि में नही थे सभी वारिसान को अपील विचाराधीन होने की जानकारी थी विधवा की ईदत की मजबूरी थी यह माना जा सकता है परन्तु बाकी वारिसों की क्या मजबूरी थी आवेदन में ऐसा कोई वर्णन नही है। मियान अधिनियम में इदत या पुजा पाठ का कोई हवाला नही है मृत्यु की तिथि से 90 दिन की अवधि आज्ञापक है। मियाद अधिनियम की धारा 5 के नियम आदेश 22 नियम 3 में लागु नही होते है इदत की अवधि महिला कुलसुम पर लागु होती है परन्तु फारूक के विधिक वारिसान में पुरूष उत्तराधिकारी भी है उसने कार्यवाही क्यों नही की। इस बारे में कोई कथन नही किया गया है अबेटमेंट निरस्त करने का आवेदन भी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अवधि बाधित है। अपीलांट की और से सन्तोषप्रद कारण पेश नही किया है ऐसी स्थिति में विधि अनुसार अपील अबेट घोषित किये जाने योग्य है। अपने कथनों के समर्थन में डी.एन.जे. राजस्थान 2012 (3) पेज 1715 एवं आर.आर.टी. 2010(2) पेज 1458 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील अबेट घोषित करने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट एक मात्र फारूक का होना एवं उसकी मृत्यु दिनांक 25.09.2017 को होना निर्विवाद है। इसके वारिसान की और से आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का आवेदन दिनांक 05.07.2018 को प्रस्तुत किया गया है इसी के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम एवं अबेटमेंट सैट असाईट का आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें विलम्ब का कारण इदत की अवधि, मानसिक आधार, बिमारी बताया गया है। यहा यह विचारणीय है कि फारूक के चार वारिसान है जिनमें पत्नी कुलसुम, पुत्र अब्दुल मुनाफ, पुत्रियां सुमेया, बिल्किस हैं। यदि इदत की अवधि एवं मानसिक आघात को उचित भी मान लिया जाये तो सिर्फ कुलसुम के सन्दर्भ में माना जा सकता है फारूक के पुत्र अब्दुल मुनाफ की और से कार्यवाही कायम मुकाम निर्धारित अवधि में क्यों नही की गई। इसके बारे में अपीलांट ने अपने उपरोक्त तीनों आवेदनों में कोई कथन नही किया है। कुलसुम द्वारा बिमारी के सम्बंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नही किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के कथन विश्वसनीय प्रतीत नही होते है।

जहां तक प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का प्रश्न है अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2010(1) पेज 167, आर.आर.टी. 2013 (1) पेज 432, आर.आर.टी. 2011(2) पेज 916 में आदेश 22 नियम 4, आदेश

उप-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

22 नियम 10ए, आदेश 22 नियम 4,5,9 के सन्दर्भ में अभि निर्धारण किया गया है प्रस्तुत प्रकरण आदेश 22 नियम 3 का होने से उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा नही होते है। जहां तक आर.आर.टी. 2014 (2)पेज 885 का प्रश्न है इसमें आवेदन 22 नियम 3 न्यायालय में गुम होने के आधार पर निर्णय किया गया है प्रस्तुत प्रकरण में इस न्यायालय में दिनांक 05.07.2018 से पूर्व आवेदन प्रस्तुत करने का कोई तथ्य पत्रावली अथवा आदेशिका पर नही है ऐसी स्थिति में यह न्यायिक दृष्टांत भी प्रकरण पर चस्पा नही होता है।

रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों में स्पष्ट प्रतिपादित किया गया है कि अपील के विचाराधीन अपीलांट की मृत्यु हुई मियाद में आवेदन पेश नही किया– निर्णित, उपशमन स्वतः ही है तथा विशिष्ट आदेश की आवश्यकता नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट का उपसमन हो चुका है अत अपील अपीलांट उपसमन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

23/x/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर